

समिति की आख्या का कार्यवृत्त

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्रांक संख्या 1091/IV-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 05 May 2020 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश संख्या 130 दिनांकित 07/05/2020 के अनुक्रम में उक्त समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति से लॉक डाउन के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत न्यायालयों द्वारा निष्पादित कार्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की प्रतिपुष्टि (Feed Back) तथा यह कि क्या उपलब्ध सुविधा/संशाधनों द्वारा जनपद न्यायालय में अन्य न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सकता है, के संबंध में आख्या प्रतिदिन 04:45 पी०एम० तक प्रस्तुत करने हेतु उक्त समिति को निर्देशित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश संख्या 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 20 May 2020 के द्वारा लॉकडाउन व उसके पश्चात की अवधि में विभिन्न जोन (रेड, ओरेन्ज व ग्रीन) में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक कार्य सम्पादित करने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा जिला प्रशासन की सूचना के आधार पर जनपद बागपत काफी समय से आरेन्ज जोन में है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आरेन्ज जोन में अधीनस्थ न्यायालय खुलने व कार्य करने के संबंध में अपने उक्त आदेश में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है तथा ओरेन्ज जोन में निम्न न्यायालय/विशेष क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय संचालित किए गए हैं :—

1. जिला न्यायाधीश
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
3. विशेष न्यायालय, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
4. विशेष न्यायालय, पोकसो एक्ट
5. अपर जिला जज न्यायालय संख्या 4(गैगस्टर एक्ट व एन०डी०पी०एस० एक्ट)
6. अपर जिला न्यायाधीश/कोर्ट संख्या 3 (विद्युत अधिनियम)
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
8. सिविल जज सीनियर डिविजन
9. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
10. सिविल जज जूनियर डिविजन

उक्त आदेश के अनुपालन में समिति की पुनः आवश्यक बैठक आहूत की

गयी। आज की बैठक में उक्त समिति के अध्यक्ष श्री आबिद शमीम, व सदस्या श्रीमति शैलजा राठी अवकाश पर होने के कारण समिलित नहीं हो पाये।

अतः उक्त बैठक आज दिनांक 22/05/2020 को मेरे (अपर जिला जज न्यायालय संख्या 4 (गैगस्टर एक्ट व एन0डी0पी0एस0 एक्ट) के) विश्राम कक्ष में आहूत की गयी तथा उक्त बैठक में श्री निशान्त मान, सदरय समिति मौजूद रहे।

बैठक के दौरान यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन की सूचना के आधार पर जनपद बागपत ओरेन्ज जोन की श्रेणी में आता है।

उक्त बैठक में विचार विमर्श करते पाया गया कि जिला बार एसोसिएशन बागपत की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया तथा प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया है कि आज रमजान का अन्तिम शुक्रवार होने के कारण सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहेंगे।

न्यायालय परिसर की सैनेटाईजेशन प्रतिदिन करायी जा रही है तथा उक्त बिन्दु के संबंध में नजारत कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सैनेटाईजेशन प्रशासन द्वारा कराया गया है तथा नजारत अनुभाग के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय नजारत में नियुक्त सफाई कर्मचारीगण से न्यायालय परिसर के न्यायालय, कार्यालय, न्यायिक अधिकारी के विश्राम कक्ष, अन्य कार्यालय, कम्पयूटर कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, लेखा कार्यालय, नजारत आदि में सफाई, पौछा, एवं सेनेटाइजर से सफाई का कार्य कराया गया है।

प्रत्येक दिन की भाँति आज भी न्यायालय परिसर में प्रवेश करते समय न्यायिक अधिकारीगण व समस्त कर्मचारीगण का थर्मल स्कैनिंग की गयी है। थर्मल स्कैनिंग करने हेतु न्यायालय के गेट संख्या 01 पर व गेट संख्या 02 पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की डयूटी लगी हुई है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्रांक संख्या 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 20 May 2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय बागपत में आज जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, विशेष न्यायालय, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, विशेष न्यायालय, पोक्सो एक्ट, अपर जिला जज न्यायालय संख्या 4(गैगस्टर एक्ट व एन0डी0पी0एस0 एक्ट), अपर जिला न्यायाधीश/कोर्ट संख्या 3 (विद्युत अधिनियम), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिविजन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट संचालित की गयी जिसमें से माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के न्यायालय में आज 13 जमानत प्रार्थनापत्र सुनवायी हेतु लम्बित थे जिनमें से 4 प्रार्थनापत्रों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया था शेष बचे 9 प्रार्थनापत्रों में अग्रिम दिनांक नियत की गयी। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज ही संचालित की गयी थी किन्तु उक्त कोर्ट आज न

✓ ✓

तो कोई नया दावा पेश किया गया और न ही कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) के न्यायालय में एक जमानत प्रार्थनापत्र सुनवायी हेतु लम्बित था किन्तु पीठासीन अधिकारी के अवकाश में रहने के कारण उक्त जमानत प्रार्थनापत्र में अग्रिम दिनांक नियत की गयी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के न्यायालय में 1 प्रार्थनापत्र सुनवायी हेतु लम्बित थे जिनमें अधिवक्तागण उपस्थित आये किन्तु पीठासीन अधिकारी के अवकाश में रहने के कारण उक्त प्रार्थनापत्र में अग्रिम दिनांक नियत की गयी। अपर सत्र न्यायाधीश/दिशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट/गैगस्टर एक्ट के न्यायालय में 7 प्रार्थनापत्र लम्बित थे जिनमें से 3 प्रार्थनापत्रों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया तथा शेष बचे 4 प्रार्थनापत्रों में अग्रिम दिनांक नियत की गयी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के न्यायालय में भी कोई प्रार्थनापत्र सुनवायी हेतु लम्बित नहीं था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 23 प्रार्थनापत्र लम्बित थे जिनमें से 21 प्रार्थनापत्र को का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया तथा 2 प्रार्थनापत्र में अग्रिम तिथि नियत कर दी गयी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की की कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज ही संचालित की गयी थी किन्तु उक्त कोर्ट आज न तो कोई नया दावा पेश किया गया और न ही कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 5 प्रार्थनापत्र सुनवायी हेतु लम्बित थे जिनको गुण-दोष के आधार पर निर्णित किया गया। सिविल जज जू०डी० के न्यायालय की कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज ही संचालित की गयी थी किन्तु उक्त कोर्ट आज न तो कोई नया दावा पेश किया गया और न ही कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय बागपत में न्यालय कक्ष संख्या 5 को Virtual Court के रूप में स्थापित कर सुनवायी की कार्यवाही Jisti Server के माध्यम से की जा रही थी, किन्तु न्यायालयों के खुलने की संख्या, सुनवायी किए जाने वाले वादों/मामलों की प्रकृति के दृष्टिगत Virtual Court के रूप में सुनवायी स्थगित की गयी है।

न्यायालय में उपलब्ध सुविधा/संशाधनों द्वारा जनपद न्यायालय बागपत में में अन्य न्यायिक कार्य सम्पादित किए जाने की सम्भावना के संबंध में उक्त समिति की बैठक के दौरान विचार विमर्श करते हुए यह पाया गया कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ओरेन्ज जोन में समिलित होने वाले न्यायालयों में कुछ और कोर्ट खोले जाने हेतु आदेशित किया गया है तथा आज उक्त आदेश के संदर्भ में तीन अन्य कोर्ट संचालित भी की गयी है तथा संचालित कोर्टों में अधिवक्तागण की उपस्थिति को देखते हुए यह तथ्य संज्ञान में आजा है कि अधिवक्तागण कार्य करने में रुचि ले रहे हैं किन्तु माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश संख्या 157/2020 के अनुक्रम में यह तथ्य भी संज्ञान में है कि श्री यशवीर कश्यप निवासी बडौत जिला बागपत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव

✓

आयी है तथा वह इस समय तहसील खेकड़ा में भर्ती है। उक्त श्री यशवीर कश्यप जिला बार परिसर बागपत व न्यायालय परिसर बागपत में भी आये थे। यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि श्री यशवीर कश्यप के सम्पर्क में न्यायालय के कर्मचारी श्री सतीश जोकि वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागपत में कार्यरत है भी आये थे तथा श्री सतीश अपने कार्य हेतु न्यायालय परिसर के नजारत अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग, प्रशासनिक कार्यालय एवं जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में भी गये थे। अतः ऐसी स्थिति में श्री सतीश कुमार की रिपोर्ट आने तक तथा वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य न्यायालयों का कार्य देश में लागू लॉक डाउन की अवधि के दौरान संचालित किया जाना वर्तमान परिस्थिति में advisable प्रतीत नहीं होता है।

Feed back:-

The resolution passed by the local Bar Association, the Lawyers abstained from work today. Some of the Lawyers appeared before the respective Courts and argued their cases while maintaining social-distancing as well as the other yardsticks for the prevention from Covid-19. Their appears to be substantial improvement in the work environ in the campus.

Alarmed by the incident of two days back whereby one Sri Yashveer Kashyap R/O Tehsil Khekra District Baghpur who was tested positive for Covid-19, and who came in contact with several court employees including Mr. Satish, presently posted at D.L.S.A. Baghpur, spot inspection of the premises was made a couple of times.

Samples of the saliva belonging to the above Mr. Satish has been sent for examination. Report is awaited.

Employees and personnel who came in contact with above Mr. Satish have been asked to exercise restraint and precaution till the time the report is obtained from the pathology.

Security and strict compliance of thermal scanning as well as sanitization is being ensured.

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

Satish (श्रीमति लगाली सक्सीना),

सदस्य समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -04/

विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट

बागपत।

(निशान्त मान)

सदस्य समिति/or with

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ and

प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल

न्यायालय सुरक्षा, बागपत।

pathology

28/01/2020

28/01/2020